

(K-1004)

LL.B. I Sem. Examination, Dec. 2017

LAW-IV I. P. C (Law of Crimes) (Old Course)

Time: Three Hours]

[M.M.: 100

नोट : सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए। Attempt all the Sections as per given instructions.

खण्ड-अ (Section-A)

Note: सभी पाँच प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है।

Attempt all five questions. Each question carries 4 marks. Very Short Answer is required not exceeding 75 words.

1. रिष्टि Mischief.
2. कूटरचना Forgery
3. दुराशय Mens Rea
4. आपराधिक अतिचार Criminal trespass.
5. दुष्प्रेरण Abetment,

खण्ड-ब (Section-B)

Note: निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है।

Attempt any two questions out of the following three questions. Each question carries 10 marks. Short Answer is required not exceeding 200 words.

6. दोषपूर्ण अवरोध व दोषपूर्ण परिरोध का अन्तर समझाइये।
Distinguish between wrongful restraint and wrongful confinement.
7. सात वर्ष से कम आयु के तथा 12 वर्ष के आयु के बच्चों के आपराधिक दायित्व के बारे में लिखिये।
Write down the criminal liabilities of children below the age of 7 years and 12 years.
8. सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
Differentiate between common intention and common objects.

खण्ड-स (Section-C)

Note: इस खण्ड में पाँच प्रश्न हैं। किन्हीं तीन प्रश्नों को हल कीजिये। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

This Section contains five questions. Attempt any three questions. Each question carries 20 marks. Answer is required in detail.

9. अपराध को परिभाषित कीजिये। इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिये।
Define crime. Discuss its essential elements.

10. सदोष मानव वध किन परिस्थितियों में मानव-हत्या नहीं होती हैं। विवेचना कीजिये।

Discuss the conditions where culpable homicide does not amount to murder. Discuss

11. निर्णीत वादों के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124-अ के अन्तर्गत राजद्रोह के अपराध के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिये।

Discuss the essential elements of the offence of section u/s 124-A of the Indian penal code by referring to decided cases. <http://www.ccsustudy.com>

12. विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा दीजिये। विधि के विरुद्ध जमाव का एक सदस्य दूसरे सदस्य के कृत्य के लिये कब उत्तरदायी होता है?

Define Unlawful Assembly. When a member of unlawful assembly is responsible of the act of another member?

13. चोरी और अपकर्षण कब डकैती का अपराध बनते हैं? क्या डकैती डालने की तैयारी करना भी कानून में दण्डनीय है?

When does the offence of theft and extortion become dacoity? Is the preparation of dacoity punishable in law ?

<http://www.ccsustudy.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से